

RAJ KUMAR MAURYA

Assistant Professor, Political Science  
G. J. College, Rambagh, Bihra, Patna.  
B.A. I Year (H.) Paper - II  
Political Science

विषय- रुस की संघीय परिषद (Federation Council of Russia)

संघीय परिषद रुस की संघीय सभा का उच्च सदन है, रुसी संघ का कोई भी नागरिक जिसकी आयु कम से कम 30 वर्ष की हो, वह इस सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो सकता है।

संघीय परिषद रुसी संघीय सभा का स्थायी निकाय है। संघीय परिषद की बैठक एक महीने में कम से कम दो बार होना आवश्यक है।

इस सदन की इ्यूमा के साथ संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के भाषण, संवैधानिक न्यायालय के भाषण, विदेशी नेताओं के अभिभाषण के समय की जाती है।

इसकी गणपूर्ति कुल सदस्यों के साधारण बहुमत से निर्धारित होती है, कानून को स्वीकार करने के लिए इस सदन की

साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति के द्वारा वीटो किस राष्ट्र किसी विधेयक को पुनः पारित करने के लिए तथा राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने सम्बन्धी प्रस्ताव के लिए  $\frac{2}{3}$  बहुमत की आवश्यकता होती है।  $\frac{3}{4}$  बहुमत की आवश्यकता संवैधानिक कानूनों में परिवर्तन करने के लिए होती है।  $\frac{3}{5}$  बहुमत की आवश्यकता संविधान सभा के गठन एवं संविधान के मौलिक सिद्धान्तों पर विचार करने के लिए आवश्यक होती है।

संघीय परिषद इम्मा के सहयोग से कानूनों का निर्माण कार्य करती है। कानून निर्माण के लिए सर्वप्रथम कोई भी विधेयक को इम्मा में पारित होता है, उसके पश्चात् उस विधेयक को 5 दिनों के भीतर इम्मा में भेजना अनिवार्य है, यदि किसी विधेयक को लेकर इम्मा और संघीय परिषद के बीच असहमति होती है तो दोनों सदनों के द्वारा संयुक्त रूप से एक आयोग का गठन कर गतिरोध को दूर करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन फिर भी इम्मा इस आयोग

इस आयोग की सिफारिशों पर सहमत न हो तो वह (इम्पा) मूल विधेयक को अपने 2/3 बहुमत से ~~वही~~ विधेयक को पारित कर सकता है।

संघीय परिषद अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विषयों पर कानून बनाने के लिए प्रस्ताव इम्पा को भेज सकता है।

राष्ट्रपति के चुनाव के सन्दर्भ में संघीय परिषद की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है, यह परिषद राष्ट्रपति पद के चुनाव की तिथि निर्धारित करती है।

यद्यपि इम्पा के द्वारा राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया आरम्भ की जाती है, इम्पा द्वारा इस सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित कर संघीय परिषद को भेजा जाता है, यदि यह सदन महाभियोग प्रस्ताव से सहमत हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है, अगर यदि संघीय परिषद उस प्रस्ताव से

असहमत है तो प्रस्ताव स्वतः निरस्त हो जाता है।

रुस के संवैधानिक - न्यायालय, उच्चतम न्यायालय एवं मध्यस्थता के उच्चतम न्यायालय में न्यायधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को उनके नाम की सूची स्वीकृति संघीय परिषद से लेना अनिवार्य है।

राष्ट्रपति को भारतीय एवं रुस में लागू कानून के लिए संघीय परिषद से अनुमति लेना पड़ता है। यदि रुस की किसी ईकाई की सीमा में परिवर्तन किया जाता है तो इसका अनुमोदन संघीय परिषद से लेना पड़ता है। यदि रुसी राष्ट्रपति अपातकाल घोषित करते हैं तो उसका भी अनुमोदन संघीय परिषद से लेना अनिवार्य है। यह सदन राष्ट्रीय बैंकिंग परिषद में अपने 2 सदस्यों को भेजती है। यह रुसी सिविल सर्विस काउन्सिल में भी अपने अपने सदस्यों को नियुक्ति करती है।

विधायी श्रेण के सन्दर्भ में यदि हम संघीय परिषद से इम्पा की तुलना करें तो यह इम्पा की तुलना में कमजोर है।